

(218)

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-14/2017/82/आ/पं०रा०

**बिहार सरकार**  
**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

नजर हुसैन,  
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक 14/1/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 72(स्वी०) दिनांक 07.01.2026 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,61,06,000.00 (एक करोड़ इकसठ लाख छह हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश 72(स्वी०) दिनांक 07.01.2026 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8053 ग्राम कचहरियों) प्रशासनिक व्यय के लिए ₹2000.00 (दो हजार रुपये) मात्र की राशि की दर से जिलावार उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹1,61,06,000.00 (एक करोड़ इकसठ लाख छह हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹1,61,06,000.00 (एक करोड़ इकसठ लाख छह हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

| क्र० | जिला का नाम | राशि रुपये में<br>आवंटित राशि |
|------|-------------|-------------------------------|
| 1    | अररिया      | 422000.00                     |
| 2    | अरवल        | 128000.00                     |
| 3    | औरंगाबाद    | 404000.00                     |
| 4    | बांका       | 364000.00                     |
| 5    | बेगुसराय    | 434000.00                     |
| 6    | भागलपुर     | 476000.00                     |
| 7    | भोजपुर      | 452000.00                     |
| 8    | बक्सर       | 272000.00                     |
| 9    | दरभंगा      | 616000.00                     |
| 10   | गया         | 640000.00                     |

बि.क.

अगता 12



277

|     |               |             |
|-----|---------------|-------------|
| 11  | गोपालगंज      | 460000.00   |
| 12  | जमुई          | 304000.00   |
| 13  | जहानाबाद      | 176000.00   |
| 14  | कैमूर         | 292000.00   |
| 15  | कटिहार        | 462000.00   |
| 16  | खगड़िया       | 226000.00   |
| 17  | किशनगंज       | 250000.00   |
| 18  | लखीसराय       | 152000.00   |
| 19  | मधेपुरा       | 320000.00   |
| 20  | मधुबनी        | 772000.00   |
| 21  | मुंगेर        | 192000.00   |
| 22  | मुजफ्फरपुर    | 746000.00   |
| 23  | नालंदा        | 460000.00   |
| 24  | नवादा         | 364000.00   |
| 25  | पश्चिम चंपारण | 606000.00   |
| 26  | पटना          | 618000.00   |
| 27  | पूर्वी चंपारण | 792000.00   |
| 28  | पूर्णिया      | 460000.00   |
| 29  | रोहतास        | 458000.00   |
| 30  | सहरसा         | 270000.00   |
| 31  | समस्तीपुर     | 692000.00   |
| 32  | सारण          | 636000.00   |
| 33  | शेखपुरा       | 98000.00    |
| 34  | शिवहर         | 106000.00   |
| 35  | सीतामढ़ी      | 516000.00   |
| 36  | सिवान         | 566000.00   |
| 37  | सुपौल         | 348000.00   |
| 38  | वैशाली        | 556000.00   |
| कुल |               | 16106000.00 |

एक करोड़ इकसठ लाख छह हजार रुपये मात्र

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-

द्वारा

भारत सरकार





(296)

लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। जिला कोषागार से उक्त राशि को सीधे ग्राम कचहरी के खाते में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि का निकासी ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम कचहरियों को आवंटित अनुदान राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से पंचायती राज विभाग को ससमय विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

6. इस आवंटित राशि का उपयोग कागज, रजिस्टर, आलमीरा, दरी एवं कार्यालय व्यय में किया जायेगा। राशि की निकासी/उपयोग पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-14/2017 के पृष्ठ संख्या ... 120/टि० पर दिनांक 13/01/2026 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नज़र हुसैन)

अपर सचिव

8.12

अज्ञात



275

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-14/2017/82(आ७) पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26  
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी  
जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी कोषागार  
पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी 04 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-14/2017/82(आ७) पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26  
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(नजर हुसैन)

अपर सचिव

B. K.